रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CENTRAL SECRETARIAT ... GOVT. OF INDIA

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 1972/भाद्र 20, 1894

No. 235] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 1972/BHADRA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

FOREIGN TRAVEL TAX

New Delhi, the 11th September 1972

G.S.R. 406(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act (32 of 1971) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 5/F. No. 389-TR(FTT)/71, (G.S.R. 1455), dated the 1st October, 1971, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, for S. No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1	2	3
"2	Scientists (other than those participating in meetings where humanities are discussed and those doing research or engaged in teaching humanities)	Production of a certificate from the authority mentioned below to the effect that the person claiming the exemption is a scientist or an engineer sponsored by a University-Institution engaged in scientific research and approved by the Central Government in this behalf and the purpose of the journey is for participation in an approved international conference, seminar or meeting.

Institution/Colleges under :	Officer/authority to issue the certificate
(a) Ministry or Department of the Central Government	An officer not below the rank of a Deputy Secretary to be designated by the concerned Ministry/Department.
(b) University	Registrar of the University.
(c) Council of Scientific and Industrial Research	Deputy Secratary (Establishment of Council of Scientific and Industrial Research.
(d) Other Institutes/institutions not specifically covered above.	By an officer designated by the Department/Ministry of the Central Government, concerned with the subject-matter of research /teaching at the Institution, Institute or Ministry of Education."

[No. 8/FTT/72 (F. No. 307/1/71-FTT).]

R. K. THAWANI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

विदेश यात्रा कर

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1972

जी०एस०आर० 406(अ).—वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 5/फा०सं० 389-टी आर (एफटीटी)/71 (सा०का०नि० 1455), तारीख 1 अक्तूबर, 1971 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3
"2	वैज्ञानिक (ऐसे वैज्ञानिकों से भिन्न जो ऐसे अधिवेशनों में भाग लेते हैं जहां मानवशास्त्र पर विचार-विमर्श किया जाता है और ऐसे वैज्ञानिकों से भिन्न जो अनुसंधान कर रहे हैं या जो मानव शास्त्र के अध्यापन में लगे हैं ।	निम्नलिखित प्राधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र पेश करना कि छूट का दावा करने वाला व्यक्ति ऐसे विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा प्रायोजित वैज्ञानिक या इंजीनियर है जो वैज्ञानिक अनुसंधान में लगी है और जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है और यात्रा का प्रयोजन किसी अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमीनार या अधिवेशन में भाग लेना है ।

निम्नलिखित के अधीन संस्था/महाविद्यालय	प्रमाणपत्र देने वाला अधिकारी/प्राधिकारी
(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग	ऐसा अधिकारी जो उपसचिव की रैंक से कम का न हो और जो सम्पृक्त मंत्रालय/विभाग द्वारा पदाविहित किया जाए ।
(ख) विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार ।
(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	उपसचिव, (स्थापन), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ।
(घ) अन्य संस्थान/संस्थाएं जो विनिर्दिष्टतः उपरोक्त के अन्तर्गत नहीं आती ।	केन्द्रीय सरकार के विभाग/मंत्रालय द्वारा पदाविहित किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो संस्था, संस्थान या शिक्षा मंत्रालय में अनुसंधान/अध्यापन की विषयवस्तु से सम्बन्ध रखता है ।"

[सं० 8/एफटीटी/72(फा०सं० 307/1/71–एफटीटी)]

आर० के० थवानी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972